भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 125
दिनांक 13 फरवरी, 2025

प्रमुख तेल विपणन कंपनियों के लिए कार्य योजना

***125. श्री हनुमान बेनीवाल:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण के संबंध में कोई कार्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों ने निविदा प्रक्रिया के दौरान पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किए गए कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की अनदेखी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस लापरवाही/निगरानी के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या वर्ष 2018 में भारत में तेल विपणन कंपनियों ने पांच वर्ष की अवधि के लिए सड़क मार्ग से एलपीजी के बड़े पैमाने पर परिवहन से संबंधित निविदाओं को कार्यान्वित करने के मामले में एमएसएमई अधिनियम, 2012 से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों तथा नियमों एवं विनियमों की अनदेखी करके अनेक अवैध कार्य आदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

''प्रमुख तेल विपणन कंपनियों के लिए कार्य योजना'' के संबंध में श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 125 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियाँ (ओएमसी) महारत्न उपक्रम हैं। वे वाणिज्यिक कम्पनियाँ बोर्ड द्वारा संचालित और सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कम्पनियाँ हैं, जिन्हें अपने दिन-प्रति-दिन के निर्णयों में पूर्ण रूप से प्रचालन स्वतंत्रता होती है। ओएमसीज अपने सम्बन्धित बोर्डों के निर्णयों के आधार पर अपनी लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कार्य- योजनाएँ तैयार करती हैं।

सरकार समय-समय पर जारी सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासित अपने वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रणाली के माध्यम से इन ओएमसीज के निष्पादन की समीक्षा और निगरानी करती है।

(ग) से (ङ): माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए निविदाओं और संविदाओं से जुड़ी प्रक्रियाएँ ओएमसीज के वाणिज्यिक निर्णय हैं और ये पूरी तरह से उनके अधिकार-क्षेत्र और दक्षता के अधीन हैं और इसीलिए वे उन पर उचित निर्णय लेते हैं।

ओएमसीज निविदाओं और संविदाओं में पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) और अन्य सभी सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा जारी नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों/मानकों को मानती हैं और अनुपालन करती हैं।

वर्ष 2018 में अंतिम रूप दिए गए थोक एलपीजी परिवहन निविदाओं में विभिन्न खण्डों यथा,- वैध पीईएसओ अनुज्ञप्ति की आवश्यकता, पीईएसओ-अनुमोदित टैंक-ड्रॉइंगों को प्रस्तुत करना और उचित एक्सॉस्ट वेल्डिंग और स्पार्क अरेस्टर का इंस्टालेशन जैसे सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करना आदि शामिल किया गया था।

ओएमसीज ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को बताया है कि ओएमसीज द्वारा वर्ष 2018 में जारी एलपीजी के थोक परिवहन निविदाओं में एमएसएमई अधिनियम, न्यायालयी आदेशों और उस समय लागू विनियमों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया। तत्पश्चात्, दिनांक 01.09.2018 से प्रभावी संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, कई ट्रांसपोर्टरों से शिकायत मिली कि कुछ ट्रांसपोर्टरों द्वारा एमएसएमई प्रावधानों का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, ओएमसीज ने सात या उससे अधिक टैंक-ट्रकों के साथ एमएसई श्रेणी के अन्तर्गत बोली लगाने वाले ट्रांसपोर्टरों को निर्देश दिया कि वे अपने एमएसई प्रमाणपत्र को एमएसएमई अधिकारियों द्वारा सत्यापित करवाएँ। कई ट्रांसपोर्टर अनुपालन करने में विफल रहे, जिसके कारण उनकी संविदाएँ समाप्त करने के लिए ओएमसीज द्वारा 'कारण बताओ' नोटिस दिया गया। प्रत्युत्तर में, प्रभावित ट्रांसपोर्टरों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया। उच्च न्यायालय ने उद्योग आयुक्त, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को इन ट्रांसपोर्टरों के एमएसएमई प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन करने का निर्देश दिया। जिन ट्रांसपोर्टरों ने पुनर्सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए थे, उन्हें प्रचालन जारी रखने की अनुमति दी गई।

***